BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 539/2022

IN THE MATTER OF:

OMARAM BANJARA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE No.
1.	Reply on behalf of District Collector, Pali (Respondent No. 4) in Compliance of Order dated 27.03.2023	1-4
2.	**ANNEXURE-R-4/1** Consent Letter issued by the Rajasthan State Pollution Control Board dated 10.06.2020, 09.02.2022, 23.03.2022 and 29.06.2022	5-24
3.	**ANNEXURE-R-4/2** Land conversion orders issued by the Sub Divisional Magistrate and the Answering Respondent	25-52
4.	**ANNEXURE-R-4/3** A copy of NOC issued by District Magistrate, Pali dated 09.09.2021 along with SDM Rohat letter dated 08.10.2020	53-55
5.	**ANNEXURE-R-4/4** Photographs taken by the unit showing the status of shrubs present at the site in the year 2020	56-57
6.	**ANNEXURE-R-4/5** A copy of notice dated 11.02.2021 along with e-challan dated 13.02.2021	58-60
7.	**ANNEXURE-R-4/6** A copy of depositions of applicable Fees	61-80
8.	**Annexure-R-4/7** A copy of short-term permission obtained by M/s SP Constructions and M/s NMC Industriesfrom the Office of Mining Engineer, Dept. of Mines and Geology, Sojat City, Pali vide letter dated 28.04.2020, 16.02.2021 and 19.03.2021	81-100
9.	**Annexure-R-4/8** A copy of GPS-based photographs taken by the joint inspection team	101-104
10.	**Annexure-R-4/9** A copy of the letters dated 17.04.2023 and 18.04.2023	105-108

Date: 26/04/2023
Place: Rohat(Pali)

उपखण्ड अधिकारी
रोहट (पाली)
Officer in Charge

For

Respondent No. 4

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 539/2022

IN THE MATTER OF:

OMARAM BANJARA ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS. ...RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF DISTRICT COLLECTOR, PALI (RESPONDENT NO. 4) IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.03.2023.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

I, Bhanwar Lal S/o Lt. Shri Narsingh Ram aged about 43 years, at present working as SDM at Tehsil Rohat of Pali District do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I have been appointed as the Officer in Charge (OIC) in the above captioned Original Application for the District Collector, Pali, Rajasthan *(hereinafter referred to as Respondent No. 4)*. I am well conversant with the facts and circumstances of the case. I am deposing based on the information derived from the case records as well as official records. I have been duly authorized by Respondent No. 4 to depose the present Reply.

2. The present reply is being filed in compliance of the order dated 27.03.2023 passed by this Hon'ble Tribunal in the present Original Application which is arising out of the frivolous letter petition sent by the Applicant allegedly complaining that M/s Nayara Energy Limited Company is indulged in illegal mining of soil from Goucher (Pasture) land, public ponds and water bodies of nearby villages and uprooted thousands of trees in Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan) and thereby damaged the environment.

3. It is humbly submitted that the M/s Nayara Energy Limited Company (*hereinafter referred to as 'Subject Company'*) has obtained requisite consent by the Rajasthan State Pollution Control Board under Section 25 and 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for storage of petroleum product plant situated at VillageSawaipura, Tehsil Rohat, District Pali. Moreover, consent was also obtained for manufacturing and producing products or carrying out the operations and activities. Consent Letter issued by the Rajasthan State Pollution Control Board dated 10.06.2020, 09.02.2022, 23.03.2022 and 29.06.2022 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R4/1 (Page 5 to 24).**

उपखण्ड अधिकारी
रोहट (पाली)

4. It is further submitted that so far as land excavation of soil is concerned, the land was allotted to the Subject Company for storage of Petroleum, i.e., non-agricultural industrial purposes by the Answering Respondent and land conversion order was issued by the Sub Divisional Magistrate, Rohatand Answering Respondent under Rule 9(d) of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007. The relevant extract of the Rule 9(1)(d) is produced hereinbelow: -

> ***9. prescribed authority for conversion:(1)*** *a khatedar tenant, seeking permission for conversion of Agricutural land for any non- agricultural purpose shall submit an application complete inn all respects in Form A along with the documents prescribed therein and a copy of challan, indicating the amount of conversion charges deposited to the prescribed authority as under: -*

(d) industrial area/ industrialpurpose	*(i) Sub Divisional Officer - where a total area does not exceed 1 hectare excluding tourism unit.* *(ii) Collector - where the total area does not exceed 10 hectares excluding tourism unit.* *(iii) State Government - where the total area exceeds 10 hectares including tourism unit of any area.*

Land conversion orders issued by the Sub Divisional Magistrate and the Answering Respondent are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R4/2(Page** 25-52 **).**

5. In response to the concerns raised regarding the alleged cutting and uprooting of trees in Chotila, Tehsil Rohat, District Pali (Rajasthan), the Answering Respondent clarifies that no such activity has been undertaken. The subject company was granted an Interim (Provisional) NOC dated 09.09.2021by the office of the District Magistrate, Pali, based on the site reports dated 08.10.2020submitted by SDM Rohat and Tehsildar, Rohat, which was issued only after a thorough verification of the land's suitability for the proposed land conversion process under Section 144 of the Petroleum Rules, 2002. It is submitted that no trees were present at the site for which permission was required or obtained by the office of Tehsildar, Rohat, Pali, as per the pre-requisite condition during the land conversion process. The vegetation present at the site consisted solely of shrubs, which were cleared for the purpose of the gainful utilization of the land without there being any violation of law.

उपखण्ड अधिकारी
रोहट (पाली)

A copy of NOC issued by District Magistrate, Pali dated 09.09.2021 along with SDM Rohat letter dated 08.10.2020 are annexed herewith and marked as**ANNEXURE R4/3(Page 53-55).** Photographs taken by the unit showing the status of shrubspresent at the site in the year 2020 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R4/4(Page 56-57).**

6. The Applicant, Shri Omaram Banjara, has alleged tree cutting without providing any supporting evidence. It is submitted that at the time of land acquisition, there were several natural dugs and pits that needed to be filled to level the land for the intended purpose. The alleged illegal mining of soil in nearby villages, as claimed by the applicant, has not come in light. Instead, the work of filling and leveling the land was assigned to M/s SP Constructions and M/s NMC Industries. Initially, they started excavating soil, which led to a penalty of Rs. 7,90,000/- imposed by the Department of Mines and Geology, Sojat City, under Section 54 & 60 of Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017 and Section 4, 21 & 23 of Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957. The Mining Department has verified the payment of applicable royalty fees, other fees, along with the penalty fee. Later, the subject company obtained short-term permits for the excavation of ordinary soil and moorum soil from the office of the Mining Engineer, Department of Mines and Geology, Sojat City, Pali. A copy of notice dated 11.02.2021 along with e-challan dated 13.02.2021 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R4/5(Page 58-60).**A copy of depositions of applicable Fees are annexed herewith andmarked as **ANNEXURE R4/6(Page 61-80).** A copy of short-term permission obtained byM/s SP Constructions and M/s NMC Industriesfrom the Office of MiningEngineer, Dept. of Mines and Geology, Sojat City, Pali vide letterdated 28.04.2020, 16.02.2021 and 19.03.2021 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R4/7(Page 81-100).**

7. According to the joint inspection team, during the visit of ChotilaSarvajanik Nada, Kerala Railway Station Sarvajanik Talab, DharmdhariSarvajanik Talab, Bandai Sarvajanik Talab, and Putaliya Nada, there wasno evidence which came to light pertaining to illegal mining or tree-cutting taking place on the site. The team noted that the area is predominantly covered with shrubs,Khejri and Babool trees. Furthermore, the unit has obtained a short-term permit from the Mining Department for excavation of soil. The joint team visited the excavation site and did not observe any mining or soil excavation. However, they did observe a large pit measuring approximately 100m x 80m x 3m, indicating that mining had previously taken place in the area for the purpose of filling the land of M/s Nayara Energy Limited. A copy of GPS-based photographs taken by the joint inspection team is attached herewith and marked as **ANNEXURE R4/8(Page 101-104).**

उपखण्ड अधिकारी
रोहट (पाली)

8. It is noteworthy to bring to the attention of this court that the SDM, Rohat, had solicited a report verifying the tree plantation status in the converted land (land in issue) from the Tehsildar, Rohat, as evidenced by Letter No. Revenue/2023/220 dated 17.04.2023. According to the report submitted by the Tehsildar, Rohat, through letter no. Revenue/2023/725 dated 18.04.2023, the land in issue had duly planted approximately 1530 trees, in accordance with the Land Conversion orders issued by the competent authority. A copy of the aforementioned letters are enclosed herewith and marked as **Annexure R-4/9(Page 105-108)**.

In view of the facts and circumstances of the case, the Applicant herein has failed to make out any case which calls for interference by this Hon'ble Court. Hence, the instant Original Application may be dismissed with costs.

Date: 26/04/2023
Place: Rohat(Pali)

Officer in Charge
उपखण्ड अधिकारी
रोहट (पाली)

For

Respondent No. 4

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184
Order No : 2020-2021/HDF/3082
Dispatch Date: 10/06/2020
Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET AIRWAYS GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI
Tehsil:MUMBAI
District:MUMBAI

Sub: **Consent to Establish** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application(s) for Consent to Establish dated 26/08/2019 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Establish under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder ,**is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated / proposed at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali** , Rajasthan under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the documents submitted therewith, subject to the following conditions:-

1 That this Consent to Establish is valid for a period from **26/11/2019** to **31/10/2024 or date of Commencement of production / commissioning of the project or activities whichever is earlier .**

2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity / Capacity
Ethanol	Activity	460.00 KL
HSD	Activity	35,160.00 KL
MS	Activity	12,710.00 KL
Slop	Service	10.00 KL

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 18:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

3 That in case of any increase in capacity or addition / modification / alteration or change in product mix or process or raw material or fuel the project proponent is required to obtain fresh consent to establish.

4 That the control equipment as proposed by the applicant shall be installed before trial operation is started for which prior consent to operate under the provision of the **Water Act and Air Act** shall be obtained. This consent to establish shall not be treated as consent to operate.

5 That the quantity of effluent generation and disposal along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Quantity of effluent to be recycled (KLD)	Quantity of treated effluent to be disposed (KLD) and mode of disposal
Domestic Sewage	3.500	NIL	3.500 To be treated in STP and to be used in plantation and horticulture
Trade Effluent	2.000	NIL	2.000 Plantation

6 That the sources of air emmissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

Sources of Air Emmissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
DG Set (1 no.)(250KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--
DG Sets (2 nos.)(750KVA EACH)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

7 That the domestic sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed by the Board as notified under the Environment (Protection) Act-1986 for disposal **Into Inland Surface Water**. The main parameters for regular monitoring shall be as under.

Parameters	Standards
pH Value	**Between 5.5 to 9.0**
Oil and Grease	**Not to exceed 10 mg/l**
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	**Not to exceed 30 mg/l**
Total Suspended Solids	**Not to exceed 50 mg/l**
Chemical Oxygen Demand	**Not to exceed 250 mg/l**

8 That this consent to establish is being issued only for the total storage of 48340 KL of petroleum products (HSD, Slop, MS & Ethanol) as per condition no. 2 and shall not be treated for processing/ storage of any other petroleum products.

9 That this consent to establish is being issued upon the khasra no duly converted for industrial use by SDM Rohat Distt. Pali- Khasra no. 279/32, 276, 276(1), 276(2), 273/19, 272, 279/27, 278/1, 279/16, 279/4, 279/23, 273/17, 277, 273/4, 277/1 dated 19/08/2016 and khasra no. 278/2 dated 26/08/2016 of land conversion.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 18:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

10 That total water requirement is 12 KLD (for domestic use-5 KLD, Fire fighting-2 KLD & Plantation-5 KLD) and same shall be obtained from ground water.

11 That the industry shall provide sewage treatment plant (STP) of adequate capacity so as to treat the entire domestic waste water (3.5 KLD) up to the norms for inland surface water standards at condition no 6.

12 That entire STP treated domestic waste water shall be used for plantation/gardening within the premises and no waste water shall be discharged outside the premises.

13 That the industry shall provide flow meters on sources/intake of fresh water, waste water generation and on the inlet and outlet of STP to measure the quantity of daily water consumption and treated waste water reused and daily records of same shall be maintained and submitted to the Board.

14 That industry shall not abstract ground water without prior NOC/ Permission from CGWA before commissioning of plant.

15 That no process effluent will be generated. The effluent generated from the floor washing and mock drill will be suitably treated in Oil Water Separator installed at unit & shall be used for plantation/Horticulture.

16 That all possible efforts shall be made for minimization of use of fresh water and use of treated waste water for gainful use within premises.

17 That no treated/untreated waste water (domestic/trade) shall be discharge out side the premises & complete zero liquid discharge status shall be maintained.

18 That the unit shall provide acoustic enclosure and stack of adequate height with D.G. Sets of 02x750 KVA Each, 01x250 KVA.

19 That unit shall use cleaner fuel in D.G. Set/ fire fighting engines etc. i.e. having low sulpher content.

20 That additional source of Air/Water pollution shall not be installed without prior consent to establish from the State Board.

21 That the industry shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.09.2006 for taking up any such activity which attracts Environmental clearance under EIA Notification dated 14.09.2006 in future.

22 That unit shall submit PESO license within a period of one month.

23 That the unit shall operate with the valid policy under PLI Act, 1991.

24 That the unit shall comply with the provisions of manufacture, storage and import of hazardous Chemical Rules 1989.

25 That industry shall comply with the provisions of Hazardous & others Waste (Management, & Transboundary Movement) Rules, 2016.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184

Order No : 2020-2021/HDF/3082

Dispatch Date: 10/06/2020

Unit Id : 100787

26 That unit shall provide of greenbelt cover by 33% of total land area.

27 That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 200 Cr.

28 That the unit shall install adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.

29 That the industry shall not use petcoke/furnace oil in any process/service/utility in compliance to the order dated 24/10/2017 of Hon'ble Supreme Court, wherein ban has been imposed on the use of pet coke and furnace oil in the State of Rajasthan.

30 That the industry shall submit half yearly compliance report of all the above conditions to the State Board.

31 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of compliance of the **Water Act and Air Act**.

32 That the grant of this **Consent to Establish** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

33 That the grant of this **Consent to Establish** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Establish** shall also be subject, beside the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Establish** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the the relevant provisions of the said Act(s).

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 16:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : **F(HDF)/Pali(Pali)/2(1)/2020-2021/1182-1184**

Order No : **2020-2021/HDF/3082**

Dispatch Date: **10/06/2020**

Unit Id : 100787

This bears the approval of the competent authority.

Yours Sincerely

Group Incharge[HDF]

(A): **Copy To:-**

1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance.

2 Master File.

Group Incharge[HDF]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2020.06.10 18:14:38 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514
Order No : 2021-2022/HDF/8884
Date: Feb 9 2022 2:55PM
Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET AIRWAYS GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI Tehsil:MUMBAI District:MUMBAI

Sub: **Consent to Operate** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application for Consent to Operate dated 21/10/2021 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Operate under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder **is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali** , Rajasthan, subject to the following conditions:-

1 That this Consent to Operate is valid for a period from **21/10/2021** to **30/09/2026** .

2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity with Unit
Ethanol	Activity	350.00 KL
HSD	Activity	21,090.00 KL
MS	Activity	7,640.00 KL
Slop	Service	10.00 KL

3 That this consent to operate is for existing plant, process & capacity and separate consent to establish/operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.

4 That the quantity of effluent generation along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514
Order No : 2021-2022/HDF/8884
Date: Feb 9 2022 2:55PM
Unit Id : 100787

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Recycled Qty of Effluent (KLD)	Disposed Qty of effluent (KLD)and mode of disposal
Domestic Sewage	3.500	NIL	3.500 To be treated in STP and to be used in plantation and horticulture
Trade Effluent	2.000	NIL	2.000 Reuse in Process

5 That the sources of air emmissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emmissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
DG Set (1 nos.)(250KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--
DG Set (2 nos.)(750KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

6 That the domestic sewage shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed under the Environvent (Protection) Act-1986for disposal **Into Inland Surface Water**. The main parameters for regular monitoring shall be as under.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514
Order No : 2021-2022/HDF/8884
Date: Feb 9 2022 2:55PM
Unit Id : 100787

Parameters	Standards
pH Value	Between 5.5 to 9.0
Oil and Grease	Not to exceed 10 mg/l
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	Not to exceed 30 mg/l
Total Suspended Solids	Not to exceed 50 mg/l
Chemical Oxygen Demand	Not to exceed 250 mg/l

7 That this consent to operate is Valid only for the total storage of 29090 KL of petroleum products (HSD, Slop, MS & Ethanol) as per condition no. 2 and shall not be treated for processing/ storage of any other petroleum products.

8 That total water requirement is 12 KLD (for domestic use-5 KLD,Industrial-2 KLD & Plantation/others-5 KLD) and same shall be obtained from ground water.

9 That the industry shall maintain sewage treatment plant (STP) of adequate capacity so as to treat the entire domestic waste water (3.5 KLD) up to the norms for inland surface water standards at condition no 6.

10 That entire STP treated domestic waste water shall be used for plantation/gardening within the premises and no waste water shall be discharged outside the premises.

11 That the industry shall maintain flow meters on sources/intake of fresh water, waste water generation and on the inlet and outlet of STP to measure the quantity of daily water consumption and treated waste water reused and daily records of same shall be maintained and submitted to the Board.

12 That industry shall not abstract ground water without prior NOC/ Permission from CGWA & shall comply with all the condition of NOC no. CGWA/ NOC/ IND/ ORIG/2021/10795.

13 That no process effluent will be generated. The effluent generated from the floor washing and mock drill will be suitably treated in Oil Water Separator installed at unit & shall be used for plantation/Horticulture.

14 That all possible efforts shall be made for minimization of use of fresh water and use of treated waste water for gainful use within premises.

15 That no treated/untreated waste water (domestic/trade) shall be discharge out side the premises & complete zero liquid discharge status shall be maintained.

16 That the unit shall maintain acoustic enclosure and stack of adequate height with D.G. Sets of 02x750 KVA Each, 01x250 KVA.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514
Order No : 2021-2022/HDF/8884
Date: Feb 9 2022 2:55PM
Unit Id : 100787

17 **That already installed fire fighting engine (2 no.) shall not be operated without prior consent from the State Board for which unit shall apply obtain separate consent to establish / operate from the State Board before 28.02.2022.**

18 **That unit shall use cleaner fuel in D.G. Set/ fire fighting engines etc. i.e. having low sulpher content.**

19 **That additional source of Air/Water pollution shall not be installed without prior consent to establish from the State Board.**

20 **That the industry shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.09.2006 for taking up any such activity which attracts Environmental clearance under EIA Notification dated 14.09.2006 in future.**

21 **That unit shall operate with valid PESO license & policy under PLI Act, 1991.**

22 **That the unit shall comply with the provisions of manufacture, storage and import of hazardous Chemical Rules 1989**

23 **That industry shall comply with the provisions of Hazardous & others Waste (Management, & Transboundary Movement) Rules, 2016 and shall apply & obtain Hazardous waste authorization before 28.02.2022.**

24 **That unit shall provide of greenbelt cover by 33% of total land area.**

25 **That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 116.53 Cr.**

26 **That the unit shall install adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.**

27 **That the industry shall not use petcoke/furnace oil in any process/service/utility in compliance to the order dated 24/10/2017 of Hon'ble Supreme Court, wherein ban has been imposed on the use of pet coke and furnace oil in the State of Rajasthan.**

28 **That the industry shall submit half yearly compliance report of all the above conditions to the State Board.**

29 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of **Air Act & Water Act**.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : **F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514**
Order No : **2021-2022/HDF/8884**
Date: **Feb 9 2022 2:55PM**
Unit Id : 100787

30 That the grant of this **Consent to Operate** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

31 That the grant of this **Consent to Operate** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted againt you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

32 That the Project Proponent shall comply with provisions of the E-waste (Management) Rules, 2016 and ensure that e-waste generated by them is channelized through collection centre or dealer of authorized producer or dismantler or recycler or through designated take back service provider of the producer to authorized dismantler or recycler.

33 That the Project Proponent shall maintain record of e-waste generated by them in Form-2 and make such records available for scrutiny by the board.

34 That the Project Proponent shall file annual returns in Form-3, to the Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates

35 That the transportation of e-waste shall be carried out as per the manifest system whereby the transporter shall be required to carry a document (three copies) prepared by the sender, giving the details as per Form-6.

36 That the Project Proponent shall comply with provisions of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended) and submit half yearly returns (as bulk consumer, importer, auctioneer, recycler as the case may be) to the State Board as provided under Rule 10 (2) (ii) of the Battery (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended). In Case the Project Proponent is not a bulk consumer even then the used batteries shall be returned to the authorized dealers or recyclers only.

37 That the record of batteries purchased and sold/ returned to registered dealers and/ or authorized recyclers shall be maintained and made available to the officers of the Board during inspections.

This **Consent to Operate** shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time , be specified, by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Operate** and project proponent / occupier shall be liable for legal

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : **F(HSW)/Pali(Pali)/6811(1)/2021-2022/6512-6514**

Order No : **2021-2022/HDF/8884**

Date: **Feb 9 2022 2:55PM**

Unit Id : 100787

action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears the approval of the competent authority.

Yours Sincerely

Group Incharge[HDF]

(A): **Copy To:-**

1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance.

2 Master File.

Group Incharge[HDF]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.02.09 14:55:37 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/3(1)/2021-2022/7743-7745
Order No : 2021-2022/HDF/8936
Dispatch Date: Mar 23 2022 3:34PM
Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET AIRWAYS GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI
Tehsil:MUMBAI
District:MUMBAI

Sub: **Consent to Establish** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application(s) for Consent to Establish dated 14/02/2022 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Establish under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder ,**is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated / proposed at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali** , Rajasthan under the provisions of the said Act(s). This consent is granted on the basis of examination of the information furnished by you in consent application(s) and the documents submitted therewith, subject to the following conditions:-

1 That this Consent to Establish is valid for a period from **14/02/2022** to **31/01/2027 or date of Commencement of production / commissioning of the project or activities whichever is earlier .**

2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity / Capacity
Fire Fighting Engine	Activity	3.00 NOS.

3 That in case of any increase in capacity or addition / modification / alteration or change in product mix or process or raw material or fuel the project proponent is required to obtain fresh consent to establish.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.03.23 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/3(1)/2021-2022/7743-7745

Order No : 2021-2022/HDF/8936

Dispatch Date: Mar 23 2022 3:34PM

Unit Id : 100787

4 That the control equipment as proposed by the applicant shall be installed before trial operation is started for which prior consent to operate under the provision of the **Water Act and Air Act** shall be obtained. This consent to establish shall not be treated as consent to operate.

5 That the sources of air emmissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emmissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
Three Fire Fighting Engine	ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

6 **That this consent to establish is being issued for three fire fighting engine mentioned at condition no. 2. The industry has to seek fresh consent to establish & operate for any change in product / by product/process/modification/alteration.**

7 **That the industry shall provide adequate stack height with three fire fighting engine.**

8 **That water shall not be used in process and thus no trade effluent will be generated.**

9 **That no treated/untreated waste water (domestic & trade effluent) shall be discharged outside the factory premises in any case and complete zero discharge status shall be maintained.**

10 **That no additional source of Air/Water pollution shall be installed without prior consent to establish from the State Board.**

11 **That no waste as defined under Hazardous & Other Waste (Management & Transboudary Movement) Rules, 2016 shall be generated.**

12 **That the industry shall install & maintain adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.**

13 **That the plantation of local species in the 33% of total area of the project shall be carried out & maintained.**

14 **That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 99.0 lacs which includes the cost Plant & Machinery.**

15 **That the industry shall ensure compliance of all the conditions of consent to operate issued vide Board's order no.2021-22/HDF/8884 dated 09.02.2022.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.03.23 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/3(1)/2021-2022/7743-7745

Order No : 2021-2022/HDF/8936

Dispatch Date: Mar 23 2022 3:34PM

Unit Id : 100787

16 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of compliance of the **Water Act and Air Act**.

17 That the grant of this **Consent to Establish** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

18 That the grant of this **Consent to Establish** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceedings, if any, instituted in the past or that could be instituted against you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Establish** shall also be subject, beside the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time, be specified by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Establish** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the the relevant provisions of the said Act(s).

This bears the approval of the competent authority.

Yours Sincerely

Group Incharge[HDF]

(A): **Copy To:-**

1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance

2 Master File.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.03.23 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/3(1)/2021-2022/7743-7745

Order No : 2021-2022/HDF/8936

Dispatch Date: Mar 23 2022 3:34PM

Unit Id : 100787

Group Incharge[HDF]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.03.23 15:34:42 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950
Order No : 2022-2023/HDF/8989 **Date:** Jun 29 2022 3:03PM

Unit Id : 100787

M/s NAYARA ENERGY LIMITED

NAYARA ENERGY LIMITED, 5TH FLOOR, JET AIRWAYS GODREJ BKC, PLOT NO C-68, G BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST , MUMBAI Tehsil:MUMBAI District:MUMBAI

Sub: **Consent to Operate** under Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application for Consent to Operate dated 07/04/2022 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Operate under the provisions of Section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under Section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder **is hereby granted** for your **Storage of petroleum product plant** situated at **ROHAT SAWAIPURA Tehsil:Rohat District:Pali** , Rajasthan, subject to the following conditions:-

1 That this Consent to Operate is valid for a period from **07/04/2022** to **31/03/2027** .

2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below:

Particular	Type	Quantity with Unit
Fire Fighting Engine	Activity	3.00 NOS.

3 That this Consent to Operate is for existing plant, process & capacity and separate Consent to Establish/Operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.

4 That the sources of air emissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
Fire Fighting Engine(3NOS.)	ADEQUATE STACK HEIGHT		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.06.29 15:03:59 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950
Order No : 2022-2023/HDF/8989 **Date: Jun 29 2022 3:03PM**

Unit Id : 100787

		--	--

5 **That this consent to operate is being issued for three fire fighting engine only mentioned at condition no. 2. The industry has to seek fresh consent to establish & operate for any change in product / by product/process/modification/alteration.**

6 **That the industry shall maintain adequate stack height with three fire fighting engines.**

7 **That water shall not be used in process and thus no trade effluent will be generated.**

8 **That no treated/untreated waste water (domestic & trade effluent) shall be discharged outside the factory premises in any case and complete zero discharge status shall be maintained.**

9 **That no additional source of Air/Water pollution shall be installed without prior consent to establish from the State Board.**

10 **That no waste as defined under Hazardous & Other Waste (Management & Transboudary Movement) Rules, 2016 shall be generated.**

11 **That the industry shall install & maintain adequately designed rain water harvesting structure for recharge of ground water in and around the area.**

12 **That the plantation of local species in the 33% of total area of the project shall be carried out & maintained.**

13 **That capital investment as per the C.A. certificate submitted by the unit is Rs. 99.0 lacs which includes the cost Plant & Machinery.**

14 **That the industry shall ensure compliance of all the conditions of consent to operate issued vide Board's order no.2021-2022/HDF/8884 date 09.02.2022 & consent to establish issued vide Board's order no.2021-22/HDF/8936 dated 23.03.2022.**

15 **That industry shall submit point wise compliance report on half yearly basis to the State Board.**

16 That, notwithstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have the power and reserves its right, as contained **under Section 27(2) of the Water Act and under Section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all of the conditions imposed here in above and to make such variation as it deems fit for the purpose of **Air Act & Water Act**.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.06.29 15:03:59 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695

Registered

File No : **F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950**
Order No : **2022-2023/HDF/8989** **Date:** **Jun 29 2022 3:03PM**

Unit Id : 100787

17 That the grant of this **Consent to Operate** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

18 That the grant of this **Consent to Operate** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted againt you by the State Board for violation of the provisions of the Water Act and Air Act or the Rules made thereunder.

19 That the Project Proponent shall comply with provisions of the E-waste (Management) Rules, 2016 and ensure that e-waste generated by them is channelized through collection centre or dealer of authorized producer or dismantler or recycler or through designated take back service provider of the producer to authorized dismantler or recycler.

20 That the Project Proponent shall maintain record of e-waste generated by them in Form-2 and make such records available for scrutiny by the Board.

21 That the Project Proponent shall file annual returns in Form-3, to the Board on or before the 30th day of June following the financial year to which that return relates.

22 That the transportation of e-waste shall be carried out as per the manifest system whereby the transporter shall be required to carry a document (three copies) prepared by the sender, giving the details as per Form-6.

23 That the Project Proponent shall comply with provisions of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended) and submit half yearly returns (as bulk consumer, importer, auctioneer, recycler as the case may be) to the State Board as provided under Rule 10 (2) (ii) of the Battery (Management and Handling) Rules, 2001 (as amended). In case the Project Proponent is not a bulk consumer even then the used batteries shall be returned to the authorized dealers or recyclers only.

24 That the record of batteries purchased and sold/ returned to registered dealers and/ or authorized recyclers shall be maintained and made available to the officers of the Board during inspections.

This **Consent to Operate** shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The Project Proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time , be specified, by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.06.29 15:03:59 IST
Reason: SelfAttested
Location:

Head Office (HDF)
Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695

Registered

File No : F(HDF)/Pali(Pali)/4(1)/2022-2023/948-950
Order No : 2022-2023/HDF/8989 **Date: Jun 29 2022 3:03PM**

Unit Id : 100787

revocation of **Consent to Operate** and Project Proponent / occupier shall be liable for legal action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears approval of the competent authority.

Yours sincerely,

Group Incharge[HDF]

(A): **Copy to:-**

1 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Pali to ensure the compliance of consent conditions
2 Master File.

Group Incharge[HDF]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Mahnot
Date: 2022.06.29 15:03:59 IST
Reason: SelfAttested
Location:

प्ररूप "ख"

(देखिए नियम 9(3), (4) व (6)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी (जिला कलेक्टर, पाली)

क्रमांक एफ12(3)(18)संप./राज/20/906 दिनांकः-25/02/2020

-:संपरिवर्तन आदेशः-

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अधीन अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पैट्रोलियम स्टोरेज) के लिए राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.6(6)राज.-6/92 पीटी/8 दिनांक 26.4.11 एवं दिनांक 6.10.2016 नियम 9(d) के क्रम में संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैः-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता पति के नाम सहित तथा पूरा पताः	श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
2	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौराः	
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नामः	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटिला तहसील रोहट जिला पाली
	(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा का क्षैत्रफल (बीघा/हैक्टर/वर्ग मीटर में)	ख.नं. 279/12 रकबा 8-01 बीघा, ख.नं. 279/28 रकबा 13-06 बीघा, ख.नं. 279/38 रकबा 5 बीघा एवं ख.नं. 279/24 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 32-07 बीघा किस्म बारानी सोयम 52366.23 वर्ग मीटर (संलग्न नक्शा अनुसार)
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षैत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षैत्रफल (बीघा/हैक्टर/वर्ग मीटर में)	ख.नं. 279/12 रकबा 8-01 बीघा, ख.नं. 279/28 रकबा 13-06 बीघा, ख.नं. 279/38 रकबा 5 बीघा एवं ख.नं. 279/24 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 32-07 बीघा किस्म बारानी सोयम 52366.23 वर्ग मीटर (संलग्न नक्शा अनुसार)
	टिप्पणीः अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न	राजस्व नक्शा की सत्यापित प्रति संलग्न है।
3	संपरिवर्तन का प्रयोजन :	औद्योगिक प्रयोजनार्थ (पैट्रोलियम स्टोरेज)
4	संदेय प्रीमियम की दर :	16.18 रूपये प्रति वर्ग मीटर
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम :	GRN 37768972 चालान नं. 798 दिनांक 14.02.2020 के द्वारा 8,47,380/- रूपये
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :	नही
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम :	नही
8	क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है :	नही

9 अन्य विशिष्टियाँ, यदि कोई होः उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के नियम 9(2) में संपरिवर्तन किया जाता है। उक्त संपरितर्वन आदेश ले-आऊट प्लान कमेटी में ले-आऊट प्लान मंजूर करवाने के पश्चात् प्रभावी माना जायेगा।

10 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :

(i) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित माप-दण्डानुसार सडक के मध्य से भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जाएगा तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत् पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।

(ii) यदि प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़को से रास्ता चाहते है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

(iii) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराना होगा।

(iv) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(vi) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(vii) उक्त संपरितर्वन आदेश वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर द्वारा संपरिवर्तन ले–आऊट प्लान कमेटी में मंजूरी के पश्चात् ही मान्य माना जायेगा।

(viii) नियम–4 में यथा–वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ix) आवेदित खसरा नम्बर के संबंध में कोई वाद–विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में यह आदेश, न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(x) उक्त संपरिवर्तन शुल्क के अतिरिक्त यदि कोई राशि वसूलनीय पायी गयी तो आवेदक द्वारा शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली कार्यवाही की जायेगी।

(xi) उद्योग स्थापित करने से पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण मानकों की पूर्ण पालना की जावे एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

(xii) अधिसूचना दिनांक 06.10.2016 के फॉर्म 'ए' में अंकित बिन्दु संख्या 4 की पालना में प्रस्तावित भूमि में एक पेड़ को हटाने के बदले 3 पेड़ एक वर्ष की अवधि में लगायेंगे एवं पालना नहीं करने की स्थिति में नियमों के अन्तर्गत पेनल्टी राशि वसूल की जाएगी, जिसकी सुनिश्चितता तहसीलदार द्वारा की जाएगी।

कार्यालय जिला कलेक्टर पाली (राज.)

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली (राज.)
दिनांक:– 25/02/2020

क्रमांक एफ12(3)(18)संप./राज/20/907-918

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रभारी अधिकारी, जि.रा.ले./भू.अभिलेख/न्यायिक शाखा कलेक्ट्रेट, पाली
2. उप खण्ड अधिकारी, रोहट।
3. सहायक अभियन्ता, सानिवि, रोहट।
4. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पाली।
5. तहसीलदार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रोहट
6. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, चोटिला पंचायत समिति, रोहट।
7. पटवारी हल्का चोटिला, सम्बन्धित द्वारा तहसीलदार, रोहट।
8. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी प्लॉट नम्बर 8 बी साउथ पार्ट कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली (राज.)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2729 दिनांक 26-8-16

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 278/2 रकबा 1.12 बीघा, अर्थात 2589.98 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012600945 दिनांक 19–8–16 रूपये 3,880/ चालान नम्बर 0012045144 दिनांक 13–7–16 रूपये 6480/ चालान नम्बर 742 दिनांक 23.08.16 रूपये 10,120/– चालान नं. 12747994 दिनांक 26.8.16 रूपये 5,00/–, कुल राशि Rs. 20,980/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है,। ग्रामीण कच्चा रास्ता से पडौसी खातेदारी खसरा नम्बर 279/35 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2230-36 दिनांक 26-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) एवं अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल 10 वस्त्राल, अहमदाबाद

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)
रोहट (जिला-पाली)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2598 दिनांक 19-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर नि 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला ज (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 273/19 रकबा 15 बीघा अर्थात 24281.01 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 6.18 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 12036208 दिनांक 13–07–16 रूपये राशि 1,24,410/, चालान नम्बर 0012601006 दिनां 19–08–16 रूपये राशि 25,650/–, –, कुल राशि Rs. 1,50,060/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सडक मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2599-605

दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2630 दिनांक 15-8-16

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 273/4 रकबा 15 बीघा अर्थात 24281.01 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 5/– प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 00120452 दिनांक 13–07–16 रूपये राशि 1,21,410/–, कुल राशि Rs. 1,21,410/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस मापदण्ड अनुसार प्रार्थी की भूमि रकबा 1.09 बीघा भूमि राज्य हक में निःशुल्क समर्पण योग्य है। जिस पर कोई निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2631-37 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महेशकुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र जाति रेगर निवासी 65 महेश नगर बी, वार्ड नम्बर 15, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2622 दिनांक 19-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 485 गोदाम के पास देवली गॉव तहसील देवली जिला टौंक (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 48 गोदाम के पास देवली गॉव तहसील देवली जिला टौं (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 272 रकबा 13.14 बीघा, अर्थात 22176.13 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 05.40 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012036032 दिनांक 13–07–16 रूपये राशि 1,05,890/–, चालान नम्बर 00120600760 दिनांक 19.08.2016 रूपये 8,470/–, योग रू. 1,14,360/– कुल राशि Rs. 1,14,360/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। ग्रामीण डामर सडक से पडौसी खातेदार खसरा नम्बर 273/4 व 273/19 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2623-29 दिनांक 17.8.16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री शिवराज पुत्र श्री रामलाल जाति भील निवासी 485 गोदाम के पास देवली गॉव तहसील देवली जिला टौंक (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2606 दिनांक 19-8-16

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमा निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अज जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 279/23 रकबा 10 बीघा अर्थात 16187.4 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012039113 दिनांक 13–07–2016 राशि 80,940/–, कुल राशि Rs. 80,940/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सडक मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2607-13 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2614 दिनांक 19-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड, अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 276 रकबा 3.19 बीघा, ख.न. 276/1 रकबा 4.00 बीघा, ख.न. 276/2 रकबा 3.19 बीघा कुल रकबा 11.18 बीघा अर्थात 19263 वर्गमीटर
	टिप्पणी — अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है — राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012039422 दिनांक 13—07—2016 राशि 78,110/—, चालान नम्बर 00120600838 दिनांक 19—08—2016 राशि 18,210/—, कुल राशि Rs. 96,320/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	—

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। ग्रामीण डामर सडक से पडौसी खातेदार खसरा नम्बर 273/4 व 273/19 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2615-21 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति कुमावत निवासी 89 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2638 दिनांक 19-8-16

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमाव जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 277/1 रकबा 3.10 बीघा, अर्थात 5665.59 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 05/– प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012574297 दिनांक 17–08–16 रूपये राशि 28,330/–, कुल राशि Rs. 28,330/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है,। जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस मापदण्ड अनुसा प्रार्थी की खातदोरी भूमि 0.10 बीघ भूमि राज्य हित में निशुल्क समर्पण योग्य है। जिस पर कोई निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2639-45 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2662 दिनांक 19-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 279/35 रकबा 1.05 बीघा, अर्थात 2023.42 वर्गमीटर
	टिप्पणी — अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है — राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 05/— प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012574341 दिनांक 17—08—16 रूपये राशि 10,120/—, कुल राशि Rs. 10,120/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	—

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सडक मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2663-69 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/ 2654 दिनांक 19-8-16

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 277 रकबा 15 बीघा, अर्थात 24281.1 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035416 दिनांक 13–07–16 रूपये राशि 1,21,410/–, चालान नम्बर 00120600654 दिनांक 19.08.2016 रूपये 74,350/–, योग रू. 1,95,760/– कुल राशि Rs. 1,95,760/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सडक मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2655-61 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2646 दिनांक 19-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 279/27 रकबा 03 बीघा, अर्थात 4856.22 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035586 दिनांक 13–07–16 रूपये राशि 24,290/–, चालान नम्बर 00120600713 दिनांक 19.08.2016 रूपये 14,860/–, योग रू. 39,150/– कुल राशि Rs. 39,150/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	—

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसके मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस मापदण्ड अनुसार 50 फुट दूरी पर प्रस्तावित भूमि स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2647-53 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/1590 दिनांक 19-8-16

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :—

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 273/17 रकबा 3.15 बीघा, अर्थात 6070.27 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 12.35 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035895 दिनांक 13–07–16 रूपये राशि 30,360/–, चालान नम्बर 00120600654 दिनांक 19.08.2016 रूपये 44,610/–, योग रू. 74,970/– कुल राशि Rs. 74,970/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	—

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण / उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सडक मध्य बिन्दु से 50 फुट दूरी पर स्थित है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक / राज / संप / 16 / 2591-97 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व / जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार / तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री अश्विन गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2678 दिनांक 23-8-16

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 278/2 रकबा 1.12 बीघा, अर्थात 2889.98 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 08.06 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012600945 दिनांक 19–08–16 रूपये राशि 3,880/–,, चालान नम्बर दिनांक 19–08–16 रूपये 6,880/–, कुल राशि Rs. 20,876/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है,। ग्रामीण कच्चा रास्ता से पडौसी खातेदारी खसरा नम्बर 279/35 में से रास्ता समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/2679-85 दिनांक 23-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री महिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत जाति कुमावत निवासी लक्ष्मी निवास बस स्टेण्ड के पास, पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर (राजस्थान)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, रोहट), जिला पाली, (राज0)

क्रमांक/राजस्व/संप/16/2582 दिनांक 17-8-16

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि भूमि को अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूरा पता	श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)
2.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	सवाईपुरा
	(क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम सवाईपुरा ग्राम पंचायत चोटीला, तहसील रोहट
	(ख) भूमि के खसरा संख्या और क्षैत्रफल	खसरा नम्बर 278/1 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नम्बर 279/16 रकबा 5.14 बीघा, खसरा नम्बर 279/4 रकबा 19.09 बीघा कुल 26.15 बीघा अर्थात 43301.29 वर्गमीटर
	टिप्पणी – अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग को सम्यक रुप से सत्यापित प्रति है – राजस्व नक्शा मय योजना मानचित्र	संलग्न
3.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	औधोगिक प्रयोजनार्थ
4.	संदेय प्रिमियम की दर	रूपये 11.34 प्रति वर्गमीटर
5.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा कराई गई प्रिमियम की राशि	चालान नम्बर 0012035241 दिनांक 13–07–16 रूपये राशि 2,16,510/–, चालान नम्बर 0012600594 दिनांक 19.08.2016 रूपये 2,74,550/–, योग रू. 4,91,040/– कुल राशि Rs. 4,91,040/-
6.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित जमा शास्ति यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो कि जमा करायी गई राशि	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया हो	शून्य
9.	अन्य प्रविशिष्टियां यदि कोई हो	शून्य
10.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा	–

लगातार 2

(1) उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 05 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रिमीयम धनराशि समपहत हो जायेगी।
(3) नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।
(4) इंडियन रोड कॉग्रेस के प्रावधानों के स्टेट हाइवें के मध्य से निर्धारित दूरी को छोड़कर कार्य करें एवं सड़क के मध्य खातेदार द्वारा निशुल्क राज्यहित में भूमिधारी (तहसीलदार) के समक्ष भूमि समर्पण करने का आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में तदनानुसार प्रविष्ट करवायेगा।
(5) संपरिवर्तन शुल्क यदि वसूलनीय पाया गया तो आवेदन शुल्क राज्यकोष में जमा करवाने हेतु बाध्य होगा अन्यथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूल की जायेगी।
(6.) आवेदक संपरिवर्तन भूमि में प्रति बीधा 12 पेड की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड लगाना सुनिश्चित करें। आवेदक इन लगाये पौधो के फोटोग्राफ तहसीलदार से प्रमाणित कर भिजवावें।
(7.) आवेदक संपरिवर्तन की गई भूमि पर उधोग स्थापित करने से पूर्व उद्योग विभाग एवं प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात् बाद प्लान अनुमोदन के किसी प्रकार निर्माण/ उद्योग स्थापित करेगा।
(8) आवेदन द्वारा प्रस्तुत अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित शर्तो की पालना करने हेतु पाबन्द रहेगा।
(9) आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूभाग का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधा क्षैत्र हेतु खुला रखा जावेगा।
(10) राष्ट्रीय उच्च मार्ग सडक के मध्यबिन्दु से 45 मीटर दूरी तक क्षैत्र पर किसी प्रकार निर्माण अनुज्ञेय नही होगा।
(11) प्रस्तावित प्लान में आने हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि सडक मध्य बिन्दु से इण्डियन रोड कांग्रेस मापदण्ड अनुसार प्रार्थी का खातेदारी रकबा 89.50 वर्गमीटर राज्य हित में निशुंल्क समर्पण योग्य है। जिसे प्रार्थी द्वारा समर्पण किया गया है।

(जबरसिंह)
विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

क्रमांक/राज/संप/16/ 2583-89 दिनांक 19-8-16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान प्रभारी अधिकारी राजस्व/ जिराले शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली।
2. तहसीलदार/ तहसील राजस्व लेखाकार, रोहट
3. ग्राम पंचायत चोटिला पंचायत समिति रोहट
4. पटवारी हल्का चोटिला
5. श्री हितेश गाढीया पुत्र श्री घनश्याम गाढीया जाति पटेल निवासी 95 चित्रलेखा वस्त्राल, 10 वस्त्राल, अहमदाबाद (गुजरात)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी रोहट)

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली

क्रमांक : एफ.21(10)(32)न्याय/2020/24744 दिनांक :– 9 सितम्बर, 2021

अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड़, पाली डिपो ने आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट के **खसरा नम्बर 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्ग मीटर भूमि पर** उनकी कम्पनी को पेट्रोलियम क्लास 'ए' में 8000 कि.ली. एवं पेट्रोलियम क्लास 'बी' में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने का निवेदन किया है।

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का (संलग्न) साईट प्लान के अनुसार भूमिधारी श्री महिपाल कुमावत, श्री शिवराज, श्री महेश कुमार, श्री अश्विन गाढीया, श्री हितेश गाढीया एवं श्री शशिपाल कुमावत से औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि कम्पनी द्वारा क्रय की जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक **पाली**, उपखण्ड मजिस्ट्रेट **रोहट**, उप वन संरक्षक **पाली**, जिला रसद अधिकारी **पाली**, अधिशाषी अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. **पाली**, अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि., **पाली**, सहायक अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद **पाली**, एवं सरपंच ग्राम पंचायत, **चोटीला** से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। **सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड पाली ने अपने पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की है।**

अतः उपरोक्त संबंध में सभी सम्बद्ध विभाग/कार्यालयों से प्राप्त अनुकूल जांच रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए **प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड़, पाली डिपो को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 278/2, 273/19, 273/4, 272, 279/23, 276, 276/1, 276/2, 277/1, 279/35, 277, 279/27, 273/17, 278/1, 279/16, 279/4, 279/28, 279/38 एवं 279/24 कुल रकबा 234797.35 वर्ग मीटर** भूमि पर पेट्रोलियम क्लास 'ए' में 8000 कि.ली. एवं पेट्रोलियम क्लास 'बी' में 21090 कि.ली. पेट्रोलियम पदार्थ के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु रेल फेड पेट्रोलियम स्टोरेज स्थापित करने हेतु निम्न शर्तो की पालना करने के अध्यधीन **अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण–पत्र** एतद्द्वारा जारी किया जाता है :–

1. सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, पाली के पत्रांक **1603** दिनांक **10.11.2020** में वर्णित शर्तो की पालना की जावें एवं कार्य पश्चात पुनः निरीक्षण करवाकर ही पम्प चालू किया जावें। (प्रति संलग्न)
2. भूमि संपरिवर्तन आदेशों में वर्णित शर्तो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड पाली के पत्रांक **923** दिनांक **4.08.2021** में वर्णित शर्तो के **अध्यधीन अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है।** (प्रति संलग्न)
4. कम्पनी को भारत/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
5. कम्पनी को पेट्रोलियम एक्ट तथा पेट्रोलियम नियम 2002 के प्रावधानों एवं सभी सुसंगत नियमों/निर्देशो व सभी सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय/राजस्थान उच्च न्यायालय आदि से पेट्रोल पम्प स्थापना के संबंध में कोई प्रतिकूल निर्णय पारित होने की दशा में उक्त अनापत्ति उसके अध्यधीन रहेगी।

उक्त शर्तो की पालना नहीं करने की दशा में यह **अन्तरिम (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण–पत्र** निरस्त कर दिया जावेगा।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

–sd–
(अंश दीप)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली

क्रमांक : सम/2021/24745–759 दिनांकः 9 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. **प्रबन्धक, आवासीय निर्माण, नायरा एनर्जी लिमिटेड़, पाली डिपो** को प्रमाणित साईटप्लान की प्रति के साथ प्रेषित हैं।
2. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, हाल संख्या 502 एवं 507,लेवल–5, ब्लॉक 2, पुराना सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स एन.एच.4, फरीदाबाद–121001
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (रा.उ.मा.) राजस्थान जयपुर
4. जिला पुलिस अधीक्षक, पाली
5. उप मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक, आम्रपाली सर्किल, पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर–302021
6. प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, पाली
7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, **पाली**/उप वन संरक्षक **पाली**/जिला रसद अधिकारी, **पाली**
8. अधिशाषी अभियंता, जो.वि.वि.नि.लि. **खण्ड पाली**
9. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड पाली।
10. तहसीलदार **रोहट** को भेजकर लेख है कि निर्माण के समय इस हेतु कम्पनी से निर्धारित शर्तो की पालना आवश्यक रूप से करवाई जाना सुनिश्चित करे। (प्रति संलग्न)
11. सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर परिषद, **पाली**
12. सरपंच, ग्राम पंचायत **चोटिला** पं.स. **रोहट**
13. रक्षित पत्रावली।

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रोहट जिला पाली (राज.)

दिनांक: 8.10.2020

क्रमांक/न्याय/2020/3842

प्रेषितः–

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
पाली

विषयः प्रार्थना पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट में पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के क्रय/संग्रहण/विक्रय हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में जांच रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः तहसीलदार रोहट के पत्रांक/न्यायिक/2020/1967 दिनांक 8.10.2020

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट में कुल रकबा 234797.35 वर्गमीटर संपरिवर्तित भूमि पर नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु नायरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में मौका निरीक्षण की जांच तहसीलदार रोहट द्वारा की गई जिसकी सूचना संलग्न इस पत्र के साथ श्रीमान की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

मूल

उपखण्ड अधिकारी
रोहट

Email Id:- sdorohat.pali@gmail.com

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार रोहट जिला पाली

क्रमांक / न्यायिक / 2020 / 1967 दिनांक- 8/10/2020

प्रेषित- श्रीमान उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय
रोहट

विषयः- प्रार्थना-पत्र द्वारा नायरा एनर्जी लिमिटेड को ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट में पेट्रोलियम रूल्स 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थो के क्रय / संग्रहण / विक्रय हेतु अनापति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबध में जांच कर रिर्पोट भिजवाने बाबत।

प्रसंगः- श्रीमान के पत्र क्रमांक / न्याय / 2020 / 77259-77265 दिनांक 31.8.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है जोधपुर द्वारा ग्राम सवाईपुरा के खसरा नम्बर 278 / 2, 273 / 19, 273 / 4, 272, 279 / 23, 276, 276 / 1, 276 / 2, 277 / 1, 279 / 35, 277, 279 / 27, 273 / 17, 278 / 1, 279 / 16, 279 / 4, 279 / 28, 279 / 38, एंव 279 / 24 कुल रकबा 234797.35 वर्गमीटर संपरिवर्तित भूमि पर नया रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतू प्रार्थना-पत्र के संबध में मौका निरिक्षण कर जांच की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार हैः-

1.	प्रस्तावित स्थल के राजस्व ग्राम का नाम	सवाईपुरा
2.	तहसील एंव उपखण्ड कार्यालय का नाम	रोहट
3	प्रस्तावित स्थल का खसरा नम्बर	278 / 2, 273 / 19, 273 / 4, 272, 279 / 23, 276, 276 / 1, 276 / 2, 277 / 1, 279 / 35, 277, 279 / 27, 273 / 17, 278 / 1, 279 / 16, 279 / 4, 279 / 28, 279 / 38, एंव 279 / 24
4	प्रस्तावित स्थल के खसरे का कुल रकबा एंव प्रस्तावित रकबा	कुल रकबा 234797.35 वर्गमीटर, प्रस्तावित रकबा 234797.35 वर्गमीटर
5	प्रस्तावित स्थन की भूमि किस्म	क्रमशः बारानी अवल, बारानी दोयम, बारानी दोयम, बारानी दोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी दोयम, बारानी दोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी दोयम, बारानी अवल, बारानी दोयम, बारानी दोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम, बारानी सोयम
6	प्रस्तावित स्थल के स्वामित्व का विवरण	अश्विन गाढिया पुत्र घनश्याम गाढिया जाति पटेल निवासी अहमदाबाद, महेश कुमार पुत्र हरीश चन्द जाति रेगर निवासी जयपुर, शिवराज पुत्र रामलाल जाति भील निवासी देवली, शशिपाल कुमावत पुत्र कन्हैयालाल कुमावत निवासी अजमेर, महिपाल कुमावत पुत्र कन्हैयालाल कुमावत निवासी पिसांगन, हितेश गाढिया पुत्र घनश्याम गाढिया जाति पटेल निवासी अहमदाबाद खातेदार
7	प्रस्तावित स्थल के संपरिवर्तन का विवरण	प्रस्तावित खसरों के औद्योगिक प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन आदेश श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पाली के द्वारा जारी किए गए हैं।

तहसीलदार (राजस्व)
रोहट, जिला-पाली

Photographs taken by the unit in year 2020 showing the status of shrubs

Vivo V9
Dual Rear Camera

Vivo V9
Dual Rear Camera

पंजि. पृ.डी./ई-मेल

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः-खअ/सोजत/एस.टी.पी./ना.ए.लि./2020/354-356 दिनांक 11/02/2021

-:NOTICE:-

(अन्तर्गत एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957, संशोधन सपठित आर.एम.एम.सी.आर. 1986, संशोधन 2017)

प्रेषितिः-

1. अधिकृत श्री शशिपाल कुमावत (M/s NMC & S.P. Construction)
   Add.- B-34. Devi Chiranjivi Colony, Surya Nagar, Jaipur
2- M/s NMC Industries Pvt. Ltd.
   Office Add.- Plot. 161, 4th Lane, Darukhana, Reay Road, Mumbai- 400010
3. S.P. Construction Company
   Add.- B-34. Devi Chiranjivi Colony, Surya Nagar, Jaipur

विषय :- Civil Construction Contract for Petroleum Storage Depot at Pali & Construction contract for Railway Siding works at Pali Depo, Pali (Rajasthan) प्रोजेक्ट निर्माण साईट का निरीक्षण दौरान खनिज का उपयोग हुए पाये जाने पर खनिज साधारण मिट्टी एवं मुर्रम के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- मौका जांच रिपोर्ट एवं भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट दिनांक 19.01.2021

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एन.एम.सी. मुम्बई एवं एस.पी. कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2021 क्रम में मैसर्स एन.एम.सी. व एस.पी. कन्स्ट्रक्शन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शशिपाल कुमावत की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के साथ भू-वैज्ञानिक, वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक जोधपुर एवं कार्यालय हाजा के तकनिकी कर्मचारी द्वारा दिनांक 19.01.2021 से मौका जांच की गई।

मौका जांच दिनांक 19.01.2021 के दौरान कार्यालय हाजा से पूर्व में जारी एस.टी.पी. (66/2020, 67/2020 एवं 68/2020) क्षैत्र में मौके पर वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा खनन क्षैत्र का निरीक्षण कर खनिज साधारण मिट्टी ऊपर से 0.7 मीटर मोटाई औसतन (गहराई) एवं खनिज मुर्रम 1.30 मीटर औसतन मोटाई (गहराई) तक खनिज की उपलब्धता बताई गई। इस विशेष खनन क्षैत्र में कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार कुल तीन विभागीय एस.टी.पी खसरा संख्या 273/21, राजस्व ग्राम-सवाईपुरा, तह. रोहट में खनिज साधारण मिट्टी के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत निमयावली 2017 के नियम 51(9)(II) तथा 74(1) के तहत् अल्पावधि अनुममि पत्र क्रमांक 771, 775 व 779 दिनांक 28.04.2020 से जारी किया जाना पाया गया। मौके पर पाया गया खनन पिट व किया गया खनन कार्य उक्त वैध एस.टी.पी. क्षैत्रो के अन्दर किया जाना पाया गया। आप द्वारा खनिज साधारण मिट्टी का उपयोग ऑईल डिपो निर्माण परिसर ट्रेक निर्माण व ऑईल टैंक बैस में किया जाना पाया एवं उक्त खनन पीट क्षैत्र में ही खनिज मुर्रम की खनिज मात्रा लगगम 20,000 टन विभिन्न ढेरियों के रूप में स्टैक किया जाना पाया गया तथा पूर्व रिपोर्ट दिनांक 08.10.2020 अनुसार पाए गये खनन पिट साईज औसतन ल. X चौ. X ऊ क्रमशः 119 X 85 X 0.7 द्वारा खनिज मिट्टी की एस.टी.पी. क्षैत्र से खनिज मात्रा कुल 9912.7 टन उक्त खनन पीट से खनन कर ऑईल डिपो निर्माण कार्य हेतु ले जाया जाना पाया गया।

उक्त एस.टी.पी. खनन क्षैत्र के निरीक्षण पश्चात ऑईल डिपो निर्माणाधिन परिसर में जाया गया। निर्माणाधिन परिसर में किए जा रह रेल्वे ट्रेक निर्माण कार्य (प्रकियाधिन) का पुनः निरीक्षण किया गया, जिसमें अलग-अलग लम्बाई में निर्माण कार्य किया गया, जिसमें अर्थवर्क कार्य में गणना उपरान्त खनिज साधारण मिट्टी व मुर्रम क्रमशः 23676.1 टन व 851.25 टन का उपयोग में लिया जाना पाया गया।

उक्त ट्रेक निर्माण में उपयोग में ली गई खनिज साधारण मिट्टी में एस.पी. कन्स्ट्रक्शन द्वारा विभाग से ली गई एस.टी.पी. क्षैत्र से उत्खनित कर साधारण मिट्टी उपयोग में ली गई। अतः उक्त कार्य में बिना

एस.टी.पी उपयोग में ली गई खनिज साधारण मिट्टी की मात्रा 23676.1 – 9912.7 = 13763.4 टन है। उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार उक्त कार्य एन.एम.सी. एवं एस.पी. कन्स्ट्रक्शन को खनिज मुर्रम के खनन व उपयोग हेतु एस.टी.पी जारी नही की गई है। अतः उक्त कार्य में एस.टी.पी. क्षैत्र से खनन कर लाई गई खनिज साधारण मिट्टी के अतिरिक्त मात्रा एवं उपयोग मे लिए गये खनिज मुर्रम की सम्पूर्ण मात्रा का उपयोग कर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत निमयावली 2017 के नियम 54 व 60 तथा एम.एम.डी.आर. एक्ट 1957 की धारा 4, 21 व 23 का उल्लघंन अपराध किया है। अतः खनिज की रॉयल्टी की दस गुणा जुर्माना राशि वसूलने योग्य बनती है। जो निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खनिज	खनिज मेसेनरी स्टोन की मात्रा	दस गुणा रॉयल्टी राशि की दर	वसूली योग्य खनिज की कीमत (रॉयल्टी का दस गुणा) कुल राशि रूपये
1	2	3	4	5
1	साधारण मिट्टी	13763.4 मैट्रिक टन	40/– प्रति टन	550536/–
2	मुर्रम	851.25 मैट्रिक टन	250/– प्रति टन	212812.5/–

उक्त कार्य में एस.टी.पी. क्षैत्र से खनन कर लाई गई खनिज साधारण मिट्टी के अतिरिक्त मात्रा लगभग 13763.4 मैट्रिक टन की राज्य की देय राशि की कीमत (रॉयल्टी का दस गुणा राशि के बराबर) राशि रू 5,50,536/– (अक्षरे पांच लाख पच्चास हजार पाँच सौ छत्तीस रू मात्र) एवं उपयोग मे लिए गये खनिज मुर्रम की सम्पूर्ण मात्रा 851.25 मैट्रिक टन की राज्य की देय राशि की कीमत (रॉयल्टी का दस गुणा राशि के बराबर) राशि रू 2,12,812.5/– (अक्षरे दौ लाख बारह हजार आठ सौ बारह रू पच्चास पैसे मात्र) एवं अवैध खनन की कम्पाउण्ड राशि रू. 25000.50 (अक्षरे पच्चीस हजार रू पच्चास पैसे मात्र) कुल राशि रूपये 7,88,349/– (अक्षरे सात लाख अठासी हजार तीन सौ उनपच्चास रू मात्र) की माँग मैसर्स एन.एम. सी. व एस.पी. कन्स्ट्रक्शन से क्यों नहीं वसूल की जावे तथा इस प्रश्नगत क्षेत्र से आप द्वारा अवैध खनन, निर्गमन से प्राप्त खनिज, जिसका उपयोग ऑईल डिपो निर्माण परिसर ट्रेक निर्माण व ऑईल टैंक बैस मे हुआ है, की मात्रा को क्यों नहीं जब्त सरकार किया जावे?

अतः एतद् नोटिस से आपको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर लेख है कि प्रकरण के संबंध में अगर आपको कोई पक्ष रखना है, तो रजि. ए.डी. पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में अपना प्रतिवेदन मय साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा बाद समयावधि कोई उजर, एतराज स्वीकार योग्य नहीं होगा तथा नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। सो सूचित रहे।

11/2/2021

(स्वरूपसिंह गहलोत)
खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

क्रमांकः–सम/ 357-358 दिनांक– 11/02/2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

M/s Nayara Energy Limited (Formerly Known as Essar Oil Limited)

Head Office- Khambhalia Post, Post Box No.- 24,
Dist.- Devbhumi Dwarka (Gujraj)-361305

Camp Office- N/V- Sawaipura- Chotila, Tehsil- Rohat, Dist.-Pali (Raj.)

(स्वरूपसिंह गहलोत)
खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

Received letter NO 354, 355, 356 12/02/2021

e-Challan

Mines and Geology Department
Government of Rajasthan

GRN: 0047483926 Payment Date: 13/02/2021 18:52:43

Office Name: MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)
Location: SOJAT
Period: 01/04/2020-To-30/06/2020

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	790000.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	790000.00

Seven Lakh Ninety Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:		
Full Name: NMCINDUSTRIES PVTLTD	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode):	PALI(305901)
Address:rajashthan	Remarks: ROYALTY FEES AND PERMIT FEE	

Payment Details:		Challan No. -	7316252
Bank:	Union Bank	Bank CIN No:	02928610988111302 2021
Date:	13/02/2021 18:52:43	Refrence No:	508625044

Computer generated copy on : *16/02/2021* *Courtsy :* *https://Egras.raj.nic.in*

e-Challan

Mines and Geology Department

Government of Rajasthan

GRN: **0039216292** Payment Date: **24/04/2020 16:47:35**

Office Name: MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)
Location: SOJAT
Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	378300.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: **378300.00**

Three Lakh Seventy Eight Thousand Three Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **S.P. Construction**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): Jipur(302015)
Address:8B South Part Villa Prinsessa Krishna nagar gopal pura jaipur	Remarks:STP Royalty Fee and permit fee for 84000 MT earth work

Payment Details:

Bank:	State Bank Of India	Challan No. -	**0**
Date:	24/04/2020 16:47:35	Bank CIN No:	**00063260484632404202 0**
		Refrence No:	**CKM7010439**

Computer generated copy on : *24/04/2020* *Courtsy :* *https://Egras.raj.nic.in*

e-Challan

Treasury and Accounts Department

Government of Rajasthan

Payment Date: **24/04/2020 16:57:23**

GRN: **0039216321**

Office Name: **Treasury Office, Pali**

Location: PALI

Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	33600.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**33600.00**

Thirty Three Thousand Six Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **S.P. Construction**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(302015)
Address:8B SOUTH PART VILLA PRINSESSA KRISHNA NAGAR GOPALPURA JAIPUR	Remarks:DMFT FOR STP

PdAccNo:- 6254-District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT)

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**00063260488062404 2020**
Date:	24/04/2020 16:57:23	Refrence No:	**CKM7010844**

Computer generated copy on : *24/04/2020* *Courtsy :* *https://Egras.raj.nic.in*

4/24/2020

Payment Sucessfull

Bank of Baroda Internet Banking Services

Date: 24/04/20 6:19 PM

Taxpayers counterfoil

Taxpayers Counterfoil - Challan No. 281				For use in Receiving Bank
TAN	JDHM06761G			Debit to a/c on: 24-04-20
Received from (Name)	MINXXX XNGINEER MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT SOJAT CITY PALI			Bank of Baroda Law Garden Branch, Ahmedabad
Address	SOJAT CITY RAJASTHAN 306104			
Debit to A/c No.	45570200000023	For Rs.	6,720.00	BSR CODE:0202976 Date Of Tender:24042020 Challan Serial No:00703
Tax	6,720.00			
Surcharge	0.00			Challan Indentification No: 02029762404202000703
Education Cess	0.00			
Fee under sec. 234E	0.00			RUPEES SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONLY
Fee	0.00			
Interest	0.00			
Penalty	0.00			
Others	0.00			
Total Amount	6,720.00			
Rs.(in words)	RUPEES SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED TWENTY ONLY			
With	Bank of Baroda, SOJAT CITY, RAJASTHAN			
(Name of the Bank and Branch)				
Company/Non-Company Deductees	(0021)Non company deductees			
on account of	TDS/TCS Payable by Taxpayer (200) from 6CH - Mining and Quarrying			
for the Assesement Year	2021-22			
Transaction Date and Time	24-04-2020 06:19:00			

S.P.Construction
PAN - AMQPK6976R

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN: **0040045993**

Office Name: **Treasury Office, Pali**
Location: PALI
Period: 18/06/2020-To-31/03/2021

Payment Date: **18/06/2020 16:54:05**

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	35280.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**35280.00**

Thirty Five Thousand Two Hundred Eighty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **NMCINDUSTRIES PVTLTD**
Pan No.(If Applicable):
Address:4TH LANE DARUKHANA REAY ROAD MUMBAI 10

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
City(Pincode): MUMBAI(400010)
Remarks:DMFT FOR STP

PdAccNo:- 6254-District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT)

Payment Details:

Bank: Union Bank
Date: 18/06/2020 16:54:05

Challan No. - **0**
Bank CIN No: **02928610113121806 2020**
Refrence No: **37935877**

Computer generated copy on : *18/06/2020*

Courtsy : *https://Egras.raj.nic.in*

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN: **0040046702**

Office Name: **Treasury Office, Pali**
Location: PALI
Period: 18/06/2020-To-31/03/2021

Payment Date: **18/06/2020 17:16:11**

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	77000.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**77000.00**

Seventy Seven Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **NMCINDUSTRIES PVTLTD**
an No.(If Applicable):
Address:4TH LANE DARUKHANA REAY ROAD MUMBAI 10

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
City(Pincode): MUMBAI(400010)
Remarks:DMFT FOR STP

PdAccNo:- 6254-District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT)

Payment Details:

Bank: Union Bank
Date: 18/06/2020 17:16:11

Challan No. - **0**
Bank CIN No: **02928610113241806 2020**
Refrence No: **37936125**

Computer generated copy on : 18/06/2020

Courtsy : https://Egras.raj.nic.in

e-Challan

Mines and Geology Department

Government of Rajasthan

GRN: **0040046379**

Office Name: **MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)**

Payment Date: **18/06/2020 17:05:57**

Location: SOJAT

Period: 18/06/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	786000.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**786000.00**

Seven Lakh Eighty Six Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **NMCINDUSTRIES PVTLTD**

Pan No.(If Applicable):

Address:4TH LANE DARUKHANA REAY ROAD MUMBAI 10

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City(Pincode): MUMBAI(400010)

Remarks:STP ROYALTY FEE AND PERMIT FEE FOR 22000 CUM MORRUM WORK

Payment Details:

Bank: Union Bank

Date: 18/06/2020 17:05:57

Challan No. - **0**

Bank CIN No: **02928610113161806 2020**

Refrence No: **37936029**

Computer generated copy on : ***18/06/2020***

Courtsy : ***https://Egras.raj.nic.in***

e-Challan

Mines and Geology Department
Government of Rajasthan

GRN: **0040045302**

Office Name: **MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)**

Payment Date: **18/06/2020 16:39:03**

Location: SOJAT

Period: 18/06/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	397800.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**397800.00**

Three Lakh Ninety Seven Thousand Eight Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **NMCINDUSTRIES PVTLTD**

Pan No.(If Applicable):

Address:4TH LANE DARUKHANA REAY ROAD MUMBAI 10

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City(Pincode): MUMBAI(400010)

Remarks:STP ROYALTY FEES AND PERMIT FEE FOR 65000 CUM EARTH WORK

Payment Details:

Bank: Union Bank

Date: 18/06/2020 16:39:03

Challan No. - **0**

Bank CIN No: **02928610113001806202 0**

Refrence No: **37935663**

Computer generated copy on : 18/06/2020

Courtsy : https://Egras.raj.nic.in

Union Bank of India

Direct Tax Challan Report

CHALLAN NO./ITNS 281	Tax Details		Assessment Year
	Tax Applicable	(0020)COMPANY DEDUCTEES	2021-22
	Type of Payment		
	Nature of Payment	6CH-Mining and Quarrying	

TAN	MUMN12242G
Full Name	NMC XXXXSTRIES PRIVATE LIMITED
Address	,MUMBAI,MH,400010

Details Of Payment

	Amount (in Rs Only)
Basic Tax	15400
Surcharge	0
Education Cess	0
Interest	0
Penalty	0
Others	0
Fee	
Fee Under	
Total	15400
Total (in words)	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only

Debit Account	361101010036100		
Date	19062020		
Drawn On	Union Bank of India Internet		
	BSR Code	Tender Date	Challan No.
CIN	0290179	19062020	20638

Taxpayers Counterfoil

TAN	MUMN12242G
Received From :	NMC XXXXSTRIES
Debit Account :	361101010036100
For Rs :	15400
Rs (in words):	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only
Drwan On :	Union Bank of India Internet
On Account of :	CHALLAN NO./ITNS 281
Assessment Year	2021-22

SPACE FOR BANK SEAL

Payment Status :	Success
Bank Reference No :	37942704

	BSR Code	Tender Date	Challan No.
CIN	0290179	19062020	20638

Bank Address : 2, 66/80 , Mumbai Samachar Marg, Post Bag No. 253&518, Fort, Mumbai -400023

यूनियन बैंक Union Bank

Direct Tax Challan Report

CHALLAN NO./ITNS 281	Tax Details		Assessment Year
	Tax Applicable	(0020)COMPANY DEDUCTEES	2021-22
	Type of Payment		
	Nature of Payment	6CH-Mining and Quarrying	

TAN	MUMN12242G
Full Name	NMC XXXXSTRIES PRIVATE LIMITED
Address	,MUMBAI,MH,400010

Details Of Payment

	Amount (in Rs Only)
Basic Tax	7056
Surcharge	0
Education Cess	0
Interest	0
Penalty	0
Others	0
Fee	
Fee Under	
Total	7056
Total (in words)	Rupees Seven Thousand and Fifty Six only

Debit Account	361101010036100		
Date	19062020		
Drawn On	Union Bank of India Internet		
CIN	BSR Code	Tender Date	Challan No.
	0290179	19062020	20625

Taxpayers Counterfoil

TAN	MUMN12242G
Received From :	NMC XXXXSTRIES
Debit Account :	361101010036100
For Rs :	7056
Rs (in words):	Rupees Seven Thousand and Fifty Six only
Drwan On :	Union Bank of India Internet
On Account of :	CHALLAN NO./ITNS 281
Assessment Year	2021-22

SPACE FOR BANK SEAL

Payment Status :	Success		
Bank Reference No :	37942620		
CIN	BSR Code	Tender Date	Challan No.
	0290179	19062020	20625
Bank Address :	2, 66/80 , Mumbai Samachar Marg, Post Bag No. 253&518, Fort, Mumbai -400023		

e-Challan

Mines and Geology Department

Government of Rajasthan

GRN: **0047483926**

Payment Date: **13/02/2021 18:52:43**

Office Name: **MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)**

Location: SOJAT

Period: 01/04/2020-To-30/06/2020

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	790000.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: **790000.00**

Seven Lakh Ninety Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **NMCINDUSTRIES PVTLTD**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
...n No.(If Applicable):	City(Pincode): PALI(305901)
Address:rajashthan	Remarks: ROYALTY FEES AND PERMIT FEE

Payment Details:

		Challan No. -	**7316252**
Bank:	Union Bank	Bank CIN No:	**02928610988111302 2021**
Date:	13/02/2021 18:52:43	Refrence No:	**508625044**

Computer generated copy on : *16/02/2021*

Courtsy : *https://Egras.raj.nic.in*

यूनियन बैंक Union Bank of India

Andhra

Direct Tax Challan Report

CHALLAN NO./ITNS 281	Tax Details		Assessment Year
	Tax Applicable	(0021)NON-COMPANY DEDUCTEES	2021-22
	Type of Payment		
	Nature of Payment	6CH-Mining and Quarrying	

TAN	JDHM06761G
Full Name	MINXXX XNGINEER MINES AND GEOLOGY
Address	,SOJAT CITY,RJ,306104

Details Of Payment

	Amount (in Rs Only)
Basic Tax	15400
Surcharge	0
Education Cess	0
Interest	0
Penalty	0
Others	
Fee	
Fee Under	
Total	15400
Total (in words)	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only

Debit Account	361101010036100		
Date	17032021		
Drawn On	Union Bank of India Internet		
	BSR Code	Tender Date	Challan No.
CIN	0290179	17032021	21098

Taxpayers Counterfoil

TAN	JDHM06761G
Received From :	MINXXX XNGINEER
Debit Account :	361101010036100
For Rs :	15400
Rs (In words):	Rupees Fifteen Thousand Four Hundred only
Drwan On :	Union Bank of India Internet
On Account of :	CHALLAN NO./ITNS 281
Assessment Year	2021-22

SPACE FOR BANK SEAL

Payment Status :	Success
Bank Reference No :	502722074

	BSR Code	Tender Date	Challan No.
CIN	0290179	17032021	21098

Bank Address : 2, 66/80 , Mumbai Samachar Marg, Post Bag No. 253&518, Fort, Mumbai -400023

S.No.	Ref No.	खनिज	मात्रा	रॉयल्टी राशि	TCS
1	202010000209 13	मुरम	15000 MT	3,75,000/-	7500/-
2	202010000209 15	मुरम	15800 MT	3,95,000/-	7900/-
					15,400/-

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

Direct Tax Challan Report

CHALLAN NO./ITNS 281	Tax Details		Assessment Year
	Tax Applicable	(0021)NON-COMPANY DEDUCTEES	2021-22
	Type of Payment		
	Nature of Payment	6CH-Mining and Quarrying	

TAN	JDHM06761G
Full Name	MINXXX XNGINEER MINES AND GEOLOGY
Address	,SOJAT CITY,RJ,306104

Details Of Payment

	Amount (in Rs Only)
Basic Tax	7056
Surcharge	0
Education Cess	0
Interest	0
Penalty	0
Others	0
Fee	
Fee Under	
Total	7056
Total (in words)	Rupees Seven Thousand and Fifty Six only

Debit Account	361101010036100		
Date	17032021		
Drawn On	Union Bank of India Internet		
CIN	BSR Code 0290179	Tender Date 17032021	Challan No. 21112

Taxpayers Counterfoil

TAN JDHM06761G
Received From : MINXXX XNGINEER
Debit Account : 361101010036100

For Rs : 7056
Rs (in words): Rupees Seven Thousand and Fifty Six only

Drwan On : Union Bank of India Internet
On Account of : CHALLAN NO./ITNS 281
Assessment Year 2021-22

SPACE FOR BANK SEAL

Payment Status : Success
Bank Reference No : 502722182

	BSR Code	Tender Date	Challan No.
CIN	0290179	17032021	21112

Bank Address : 2, 66/80 , Mumbai Samachar Marg, Post Bag No. 253&518, Fort, Mumbai -400023

Ref. No.	खनिज	मात्रा	रॉयल्टी राशि	TCS राशि
20201000020908	साधारण मिट्टी	27,000 MT	1,08,000/-	2,160/-
20201000020910	—d—	27,000 MT	1,08,000/-	2,160/-
20201000020911	—d—	27,000 MT	1,08,000/-	2,160/-
20201000020912	—d—	7,200 MT	28,800/-	576/-
			कुल	7,056/-

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN: **0049620371** Payment Date: **15/04/2021 15:50:31**

Office Name: **Treasury Office, Udaipur**
Location: Udaipur City
Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8342-00-120-68-00-राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)	4056.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**4056.00**

Four Thousand Fifty Six Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **NMCINDUSTRIES PVTLTD**		Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):		City(Pincode):	PALI(305901)
Address:rajashthan		Remarks:	

PdAccNo:- 18400-Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET)

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	Union Bank	Bank CIN No:	**02928610243231504 2021**
Date:	15/04/2021 15:50:31	Refrence No:	**503326950**

Computer generated copy on : ***15/04/2021*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.raj.nic.in***

GRN No. 0049620371 Rs. 4056/- Date 15/04/2021
GRN No. 0049564185 Rs. 18400/- Date 12/04/2021
Total Rs. 22456/-

~~Rs. 6000/- STP No.~~
Rs. 2160/- STP No. 93/2020
Rs. 2160/- STP No. 94/2020
Rs. 2160/- STP No. 95/2020
Rs. 576/- STP No. 96/2020
Rs. 7500/- STP No. 97/2020
Rs. 7900/- STP No 98/2020

Total Rs. 22456/-

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN 0049564185 Payment Date 12/04/2021 18:59:59

Office Name: Treasury Office, Udaipur
Location: Udaipur City
Period: 12/04/2021-To-30/04/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount
1	8342-00-120-08-00 राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)	18400.00
	Commision(-):	0
	Total/NetAmount:	18400.00

Eighteen Thousand Four Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: NMCINDUSTRIES PVTLTD
Pan No (If Applicable)
Address rajashthan
Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid
City(Pincode) PALI(305901)
Remarks

PdAccNo - 18400-Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET)

Payment Details:

Bank: Union Bank
Date: 12/04/2021 18:59:59
Challan No: 0
Bank CIN No: 02928610235721204 2021
Refrence No: 503287811

Computer generated copy on : 12/04/2021 *Courtsy :* https://Egras.raj.nic.in

GRN No. - 0049620371 Rs. 4056/- Date 15/04/2021
GRN No. - 0049564185 Rs. 18400/- Date 12/04/2021

Total Rs. 22456/-

Rs. 2160/- STP No. 93/2020
Rs. 2160/- STP No. 94/2020
Rs. 2160/- STP No. 95/2020
Rs. 576/- STP No. 96/2020
Rs. 7500/- STP No. 97/2020
Rs. 7900/- STP No. 98/2020

Total Rs. 22456/-

e-Challan

Mines and Geology Department

Government of Rajasthan

GRN: **0047499796** Payment Date: **15/02/2021 10:54:43**

Office Name: **MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)**

Location: SOJAT

Period: 15/02/2021-To-28/02/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	500000.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**500000.00**

Five Lakh Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:			
Full Name: **Shashipal Kumawat**		Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
n No.(If Applicable):		City(Pincode):	Jaipur(302015)
Address:B34 Basement Devi Chirinjivi Colony Gopalpura Byepass		Remarks:Royalty Charges SP Construction	

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**00063264269031502 2021**
Date:	15/02/2021 10:54:43	Refrence No:	**CKP5258686**

Computer generated copy on : ***15/02/2021*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.raj.nic.in***

e-Challan

Mines and Geology Department

Government of Rajasthan

GRN: **0047500417**

Payment Date: **15/02/2021 11:02:51**

Office Name: **MINNING ENGINEER MINES & GEOLOGY DEPTT. SOJATCITY(PALI)**

Location: SOJAT

Period: 15/02/2021-To-28/02/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0853-00-102-01-01-Rent Royalte fees etc	10000.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: **10000.00**

Ten Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **Shashipal Kumawat**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(302015)
Address:B34 Basement Devi Chirinjivi Colony Gopalpura Byepass	Remarks:Permit Fee SP Construction

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**00063264284141502 2021**
Date:	15/02/2021 11:02:51	Refrence No:	**CKP5260668**

Computer generated copy on : ***15/02/2021*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.raj.nic.in***

e-Challan

Treasury and Accounts Department
Government of Rajasthan

GRN: **0047505097** Payment Date: **15/02/2021 11:50:42**

Office Name: **Sub. Treasury Officer, Sojat**
Location: SOJAT
Period: 15/02/2021-To-28/02/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8443-00-106-00-00-व्यक्तिगत जमा	50000.00

Commision(-): 0.00
Total/NetAmount: **50000.00**

Fifty Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:		
Full Name: **Shashipal Kumawat**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode):	Jaipur(302015)
Address:B34 Basement Devi Chirinjivi Colony Gopalpura Byepass	Remarks:DMFT SP Construction	

PdAccNo:- 6254-District Mineral Foundation Trust Fund (DMFT)

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**00063264363871502 2021**
Date:	15/02/2021 11:50:42	Refrence No:	**CKP5275880**

Computer generated copy on : ***15/02/2021*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.raj.nic.in***

Tax Payer Counterfoil

TAN JDHS17438B

Received from : SASXX XXL KUMAWAT

Rs : 10000/-

(in words) : Ten Thousand Rupees Only

Drawn On : Internet Banking through SBI

TAN ON ACCOUNT OF INCOME TAX ON: Major Head :NON COMPANY DEDUCTEES[0021]
Minor Head : TDS/TCS Payable by Taxpayer [200]
Nature of payment :Mining and Quarrying[6CH]

For the assessment year : 2021-22

Payment Status : Success

SBI Ref No. : CKP5279831

	BSR Code	Tender date	Challan No
CIN	0013283	150221	01447
Date of challan :	15-02-2021		

State Bank of India
Gandhinagar
Bangalore
(Internet Collection Center)

Tax Payer Counterfoil

TAN JDHM06761G

Received from : MINXXX XNGINEER MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT SOJAT CITY PALI

Rs : 10100/-

(in words) : Ten Thousand And One Hundred Rupees Only

Drawn On : Internet Banking through SBI

TAN ON ACCOUNT OF INCOME TAX ON: Major Head :NON COMPANY DEDUCTEES[0021]
Minor Head : TDS/TCS Payable by Taxpayer [200]
Nature of payment :Mining and Quarrying[6CH]

For the assessment year : 2021-22

Payment Status : Success

SBI Ref No. : CKP6724499

	BSR Code	Tender date	Challan No
CIN	0014431	010321	03794
Date of challan :	01-03-2021		

State Bank of India
Gandhinagar
Bangalore
(Internet Collection Center)

STP-B/57/2021

→ SP. Construction

PAN No. → AMQPK6976R

NAME → SHASHIPAL KUMAWAT

DOB → 05/07/1967

e-Challan

Treasury and Accounts Department

Government of Rajasthan

GRN: **0049552447** Payment Date: **12/04/2021 15:22:10**

Office Name: **Treasury Office, Udaipur**
Location: Udaipur City
Period: 12/04/2021-To-30/04/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	8342-00-120-68-00-राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)	10000.00

Commision(-): 0.00
Total/NetAmount: **10000.00**

Ten Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:		
Full Name: **SPConstruction Kumawat**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode):	Jaipur(302015)
Address:B34 Devi Chirinjivi Colony Gopalpura byepass	Remarks:	

PdAccNo:- 18400-Rajasthan State Mineral Exploration Trust (RSMET)

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**00063262983431204 2021**
Date:	12/04/2021 15:22:10	Refrence No:	**CKQ2126959**

Computer generated copy on : *12/04/2021* *Courtsy :* *https://Egras.raj.nic.in*

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/57/2021/415 दिनांक 16/02/2021

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी– 8बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali. के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 13.02.2021 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 15.02.2021 कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि रूपये 5,00,000/– जरिये ई–चालान संख्या 47499796 दिनांक 15.02.2021 परमिट फीस राशि रूपये 10,000/– जरिये ई–चालान संख्या 47500417 दिनांक 15.02.2021 से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 50,000/– जरिये ई–चालान 47505097 दिनांक 15.01.2021 व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 10,000/– जरिये डी.डी. संख्या 44193797 दिनांक 10.02.2021 तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 10,000/– जरिये चालान संख्या 01447 दिनांक 15.02.2021 से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 16.02.2021 से 28.02.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुर्रम	20,000 टन	25/–	5,00,000/–	10,000/–	5,10,000/–	खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम–सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये मौका रिपोर्ट दिनांक19.01.2021 अनुसार खनन पीट क्षैत्र में खनिज मुर्रम जो विभिन्न ढेरियों के रूप में स्टेक किया हुआ है। मे से

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

16/2/2021

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 416 – 418

दिनांक 16/02/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
2. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
3. मैसर्स एस.पी. कन्स्ट्रक्शन निवासी– 8बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

Ref No. 20201000019648

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/बी–66/2020/771 दिनांक 28.04.2020

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी – 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता – खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा 74 (I) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रू 112600/– जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 378300/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रू 10000/– जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 33600/–) तथा टीसीएस राशि रू 2000/– जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 6720/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा 74 (I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	25000 टन	4/–	100000/–	12600/–	112600/–	क्षेत्रफल 0.9044 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 772-74

दिनांक 28.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता – खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)–361305
2. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी – 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

Ref No. 20201000019649

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/बी–67/2020/775 दिनांक 28.04.2020

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी – 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता – खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा 74 (I) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रू 117100/– जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 378300/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रू 10400/– जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 33600/–) तथा टीसीएस राशि रू 2080/– जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 6720/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा 74 (I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	26000 टन	4/–	104000/–	13100/–	117100/–	क्षेत्रफल 0.9293 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 776-78

दिनांक 28.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता – खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)–361305
2. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी – 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

Ref No. 20201000019650

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/बी–68/2020/779

दिनांक 28.04.2020

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी – 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर ने श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता – खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)के कार्यादेश क्रमांक 6300002403 Date 13.11.2019 के द्वारा Civil Construction contract for Petroleum Storage Depot at Pali के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा 74 (I) के अनुसार निम्नानुसार खनिज को खोदने एवं हटाने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 24.04.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 24.04.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि, परमिट फीस कुल राशि रू 117100/– जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216292 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 378300/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रू 10400/– जरिये चालान संख्या जीआरएन 0039216321 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 33600/–) तथा टीसीएस राशि रू 2080/– जरिये चालान संख्या 00703 दिनांक 24.04.2020 (चालान में अंकित राशि रू 6720/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा 74 (I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 28.04.2020 से 27.10.2020 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	26000 टन	4/–	104000/–	13100/–	117100/–	क्षेत्रफल 0.9316 हैक्टर खसरा संख्या 273/21 राजस्व ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली में किये गये संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74 (1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 780-82

दिनांक 28.04.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान् प्रबंधक, नायरा एनर्जी लिमिटेड पता – खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात)–361305
2. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा।
3. मैसर्स एस. पी. कन्सट्रक्शन निवासी – 8 बी, साउथ पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा, जयपुर।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

Ref No. 20201000020908

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/93/2020/756 दिनांक 19/03/2021

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 1,21,700/– जरिये ई–चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 3,97,800/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 10,800/– जरिये ई–चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 35280/–) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 2,160/– जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रू 7056/–) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 2,160/– जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रू 7056/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उतरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	27,000 टन	4/–	1,08,000/–	13,700/–	1,21,700/–	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम–सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी
दिनांक 19/03/2021

क्रमांकः–समसंख्यक– 757-761
प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III), निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांकः निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
4. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

Received

19/3/2021
खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

Ref No. 20201000020910

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/94/2020/762 दिनांक 19/03/2021

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 1,21,700/– जरिये ई–चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 3,97,800/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 10,800/– जरिये ई–चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 35280/–) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 2,160/– जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रू 7056/–) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 2,160/– जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रू 7056/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उतरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	27,000 टन	4/–	1,08,000/–	13,700/–	1,21,700/–	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम–सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 763-767

दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III), निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांकः निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
4. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

19/3/2021

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

Received

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/95/2020/768 दिनांक 19/03/2021

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 1,21,700/– जरिये ई–चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 3,97,800/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 10,800/– जरिये ई–चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 35280/–) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 2,160/– जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रू 7056/–) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 2,160/– जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रू 7056/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उतरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	27,000 टन	4/–	1,08,000/–	13,700/–	1,21,700/–	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम–सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
% सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 769-774 दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III), निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांकः निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
4. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

Received

19/3/2021

खनि अभियन्ता,
% सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/96/2020/774 दिनांक 19/03/2021

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 32,600/– जरिये ई–चालान संख्या 40045302 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 3,97,800/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 2,880/– जरिये ई–चालान 40045993 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 35280/–) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 576/– जरिये डी.डी. संख्या 069252 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रू 7056/–) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 576/– जरिये चालान संख्या 21112 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रू 7056/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उतरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	साधारण मिट्टी	7,200 टन	4/–	28,800/–	3,800/–	32,600/–	खसरा संख्या 291 राजस्व ग्राम–सवाईपुरा तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 775-779 दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III), निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांकः निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
4. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

Received

19/3/2021
खनि अभियन्ता,
सोजत सिटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/97/2020/780 दिनांक 19/03/2021

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 3,82,600/– जरिये ई–चालान संख्या 40046379 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 7,86,000/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 37,500/– जरिये ई–चालान 40046702 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 77,000/–) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 7,500/– जरिये डी.डी. संख्या 069253 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि रू 9,000/–) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 7,500/– जरिये चालान संख्या 21098 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रू 15,400/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उतरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुर्रम	15,000 टन	25/–	3,75,000/–	7,600/–	3,82,600/–	खसरा संख्या 58 राजस्व ग्राम–चोटिला तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

19/3/2021

खनि अभियन्ता,
ओ/सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 780–785

दिनांक 19/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III), निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांकः निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
4. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

Received

खनि अभियन्ता,
ओ/सोजत सिटी

Ref No. 20201000020915

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/एसटीपी/नियम–51(9)(2)/98/2020/786 दिनांक 19/03/2021

:–अल्पावधि अनुमति पत्रः–

मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र) ने श्रीमान प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) के कार्यादेश क्रमांक 6300002481 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा Construction contract for Railway Siding Works at Pali Depot, Pali (Rajasthan) के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निम्नानुसार रॉयल्टी पेड खनिज क्रय करने हेतु अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए दिनांक 19.06.2020 को ऑनलाईन आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी हार्ड कॉपी दिनांक 22.06.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

संवेदक फर्म द्वारा नियमानुसार रॉयल्टी राशि व परमिट फीस कुल राशि रूपये 4,03,000/– जरिये ई–चालान संख्या 40046379 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 7,86,000/–) से जमा करा दी गई है व डी.एम.एफ.टी. राशि रूपये 39,500/– जरिये ई–चालान 40046702 दिनांक 18.06.2020 (चालान में अंकित राशि रू 77,000/–) व आर.एस.एम.ई.टी. राशि रूपये 7,900/– जरिये डी.डी. संख्या 069251 व 069253 दिनांक 15.10.2020 (चालान में अंकित राशि क्रमशः रू 6,400/– व 9,000/–) तथा एवं टी.सी.एस. राशि रूपये 7,900/– जरिये चालान संख्या 21098 दिनांक 17.03.2021 (चालान में अंकित राशि रू 15,400/–) से जमा करा दिये गये है।

अतः एतद्द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम नियम 51 (9) (II) तथा नियम 74(I) के अनुसार निर्धारित शर्तों पर नीचे अंकित विवरण अनुसार खनिज उठाने की अनुमति जारी की जाती है। इस अल्पावधि अनुमति पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण अथवा प्राधिकृत संस्था द्वारा आपत्ति अथवा आक्षेप गठित किया जाता है, तो उसके सम्बन्ध में संवेदक उतरदायी होगा। उक्त अनुमति की अवधि दिनांक 17.03.2021 से 31.03.2021 तक वैध होगी।

क्र. सं.	नाम खनिज	खनिज की मात्रा (टन में)	रॉयल्टी की दर	कुल रॉयल्टी राशि रू	परमिट फीस राशि रू	कुल राशि रू	खनिज उठाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9
1	मुर्रम	15,800 टन	25/–	3,95,000/–	8,000/–	4,03,000/–	खसरा संख्या 58 राजस्व ग्राम–चोटिला तह. रोहट जिला पाली में किए गये संयुक्त सीमांकन अनुसार

विशेष शर्तेः–

1. अनुमतिधारक किसी तीसरे पक्ष के विरूद्ध सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा तथा ऐसे दावे को जैसे ही वह उत्पन हो, समाधान करेगा।
2. अनुमतिधारक सड़क/भवन, भ–ग्रादि या सार्वजनिक मैदानों/स्थान में कोई बाधा उत्पन नहीं करेगा या उनको कोई नुकसान नहीं करेगा।
3. अनुमतिधारक को विभाग द्वारा ऐसी हिदायत दी जाने पर जहां से खनिज निकाला गया हो सुरक्षा के लिए गड्ढे को पाट देगा या उसके चारों ओर बाड़ लगा देगा।
4. ठेकेदार पत्थर, गिट्टी का उपयोग चिप्स बनाने हेतु नहीं करेगा।

5. अनुमतिधारक द्वारा बाद अवधि के एवं अधिक मात्रा में निकाले गये खनिज पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 51 (11) के तहत् पेनल्टी एवं रॉयल्टी राशि की दस गुणा राशि देनी होगी तथा आवेदित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य भूमि में खनन कार्य नहीं करेगा।
6. अनुमतिधारी खनिज दोहन किसी अन्य भूमि/चारागाह/केचमेंट एरिया/वन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि/रक्षित अभयारण्य/राष्ट्रीय उधान तथा उनके सेफटी जोन/विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/किसी व्यक्ति या संस्था की निजी भूमि में उसकी लिखित सहमति के बिना तथा वैध पट्टाधारी/लाइसेंसी के स्वीकृत क्षेत्र/पंचायत हेतु आरक्षित भूमि/गोचर भूमि/पंचायत द्वारा पौधारोपण क्षेत्र आदि में नहीं करेगा ।
7. अनुमतिधारक वन सीमा खनन स्थल के नजदीक हो तो वन सीमा से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही खनन कार्य करेंगे तथा सार्वजनिक रास्ते, नदी, नाले व सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर इत्यादि एवं आबादी से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर खनन कार्य करेंगे।
8. खनन कार्य करते समय हैवी ब्लास्टिंग नहीं करेंगे, यदि की जाती है, तो तकनीकी व्यक्ति (ब्लास्टर) की देखरेख में की जाये एवं सुरक्षा के नियमों की पूर्णतया पालना करेगे।
9. अनुमतिधारक द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 74(1) के अनुसार 2 मीटर गहराई तक ही खनन कार्य किया जायेगा तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 तथा इसमें समय–समय पर होने वाले संशोधनों की पूर्णतया पालना करनी होगी।

खनि अभियन्ता,
ओ/ सोजत सिटी

क्रमांकः–समसंख्यक– 787 – 791 दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III), निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को पत्रांकः निदे/प.2/कास/नियम (NIIAI)/2019/1222 दिनांक 12.11.2020 के क्रम में।
2. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर को पत्रांक 4701 दिनांक 16.09.2021 एवं 9267 दिनांक 15.01.2021 के क्रम में।
3. श्रीमान् प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लिमिटेड, पता– खामभालिया, पोस्ट बोक्स नम्बर–24 जिला देवभूमि द्वारका (गुजरात) 361305 को भेजकर निवेदन है कि उक्त निर्माण कार्य में अंतिम बिल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा अदैयता/अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त ही किया जावें।
4. खनि कार्यदेशक–II कार्यालय हाजा, तह. रोहट।
5. मैसर्स एन.एम.सी. इण्डस्ट्रिज प्रा.लि. निवासी– प्लॉट नं. 161, फोर्थ लेन दारूखाना, रे–रोड़, मुम्बई (महाराष्ट्र)।

29/3/2021

खनि अभियन्ता,
ओ/ सोजत सिटी

Photographs taken by the team on 18.11.2022 during joint inspection

गुहिया बाला

पुतलिया नाडा

बान्डाई नाडी

पुतलिया नाडा

पुतलिया नाडा

सवाईपूरा, चोटिला रोहट

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रोहट जिला पाली (राज.)

Email Id:- sdorohat.pali1@gmail.com Phone No. 02936-268371

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 220 दिनांक 17-4-2023

प्रेषितः–

तहसीलदार,
रोहट

विषयः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2007 के तहत संपरिवर्तनसुदा भूमि में प्रति बीघा 12 पेड़ प्रमाणित कर प्रस्तुत करने बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के पत्र क्रमांक / एफ.16(5)(10)( )विधि / 2023 / 1023 दिनांक 13.04.2023 अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2007 अनुसार निम्नलिखित संपरिर्वन आदेश के बिन्दु संख्या 06 में संपरिवर्तनसुदा भूमि में प्रति बीघा 12 पेड़ की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड की रिपोर्ट प्रमाणित कर अधोहस्ताक्षकर्ता को आज ही प्रेषित करें।

क्र. स.	खातेदार का नाम	संपरिवर्तन आदेश	ग्राम	खसरा संख्या व रकबा
1	श्री महिपाल कुमावत पुत्र कन्हैयालाल	2729 दिनांक 26.0.2016	सवाईपुरा	278 / 2 रकबा 1.12 बीघा
2	श्री महेश कुमार पुत्र हरिशचन्द्र	2598 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	273 / 19 रकबा 15 बीघा
3	श्री महेश कुमार पुत्र हरिशचन्द्र	2630 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	273 / 4 रकबा 15 बीघा
4	श्री शिवराज पुत्र रामलाल	2622 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	272 रकबा 13.14 बीघा
5	श्री शशिपाल पुत्र कन्हैयालाल	2606 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	279 / 23 रकबा 10 बीघा
6	श्री शशिपाल पुत्र कन्हैयालाल	2614 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	276 रकबा 3.19 बीघा, 276 / 1 रकबा 4 बीघा व 276 / 2 रकबा 3.19 बीघा
7	श्री महिपाल कुमावत पुत्र कन्हैयालाल	2638 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	277 / 1 रकबा 3.10 बीघा
8	श्री महिपाल कुमावत पुत्र कन्हैयालाल	2662 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	279 / 35 रकबा 1.05 बीघा
9	श्री अश्विन गाढीया पुत्र घनश्याम गाढिया	2654 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	277 रकबा 15 बीघा
10	श्री अश्विन गाढीया पुत्र घनश्याम गाढिय	2646 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	279 / 27 रकबा 03 बीघा
11	श्री अश्विन गाढीया पुत्र घनश्याम गाढिय	2590 दिनांक 19.08.2016	सवाईपुरा	273 / 17 रकबा 3.15 बीघा
12	श्री महिपाल कुमावत पुत्र कन्हैयालाल	2678 दिनांक 23.08.2016	सवाईपुरा	278 / 2 रकबा 1.12 बीघा
13	हितेश गाढिया पुत्र घनश्याम गाढीया	2582 दिनांक 19.08.16	सवाईपुरा	278 / 1 रकबा 1.12 बीघा, 279 / 16 रकबा 5.14 बीघा व 279 / 4 रकबा 19.09 बीघा

(भवंरलाल जिनगर)
उपखण्ड अधिकारी
रोहट
जिला-पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार, रोहट जिला पाली

क्रमांक / राजस्व / 2023 / 725 दिनांक : 18/5/2023

प्रषितः–

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
रोहट।

विषयः– राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 2007 के तहत संपरिवर्तनसुदा भूमि में प्रति बीघा 12 पेड़ प्रमाणित कर प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः– श्रीमान् के पत्रांक / राजस्व / 2023 / 220 दिनांक 17.04.2023 के क्रम में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्रान्तर्गत निवेदन हैं कि श्रीमान् द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में ग्राम चोटिला–सवाईपुरा सरहद पर स्थापित नायरा प्रा.लि. डीपों में प्रति बीघा 12 पेड़ की दर से पौधारोपण मय टी–गार्ड की जाचं आई एल आर ढाबर द्वारा करवाई गई। जिसकी मूल ही जांच रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् जी को सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

तहसीलदार
रोहट

मौका रिपोर्ट 18/04/2023

आज दिनांक 18/04/2023 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय एवं श्रीमान तहसीलदार साहब नाहरगढ़ द्वारा दुरभाष पर दिये गए निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत सवाईपुरा सरहद पर स्थापित नागरा प्रा० लि० डीपो में पेड़ पौधों का नीरिक्षण किया गया। डीपो के मैनेजर से मिलकर उनके साथ डीपो का पैदल नीरिक्षण कर पेड़ पौधों की जायजा लिया। डीपो का कुल क्षेत्रफल 58.0184 एकड़ है। जिसमें मैनेजर द्वारा बताया कि डीपो में लगभग 5.6 किलोमीटर सड़क है जिसके दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए है एवं परिसर में जगह जगह पेड़ पौधे बेचु अलग से पाई एवं घास लगी हुई है। मुख्य द्वार से सम्पूर्ण सड़क जो कि सीमेंट की बनी हुई है दोनों तरफ पेड़ लगे हुए है। डीपो के बाहर व अन्दर परिसर में लगभग 1530 छोटे बड़े पेड़ पौधे लगे हुए जो वर्तमान में ठीक हालात में है। मैनेजर ने बताया कि परिसर में लगभग 45000 वर्गमीटर में घास लगी हुई है। डीपो का 58.0184 एकड़ भूमि अकृषिक प्रयोजनार्थ सम्बन्धित कम्पनी द्वारा लगभग 1530 छोटे व बड़े पेड़-पौधे लगाये हुए है।

मौका रिपोर्ट श्रीमान जी के समक्ष सादर पेश है।

(ह०)
तहसीलदार

18/04/2023
आशीष माथुर
कानूनगो

TABLE NO.3 PLOT DETAILS

SL.NO	KH.NO.	AREA (BIGHA.BISWA)	AREA (SQM.)	AREA (ACRE)
1	278/2	1.12	2589.98	0.6399
2	273/19	15.00	24281.10	5.9999
3	273/4	15.00	24281.10	5.9999
4	272	13.14	22176.13	5.4798
5	279/23	10.00	16187.40	3.9999
6	276	3.19	19263.00	4.7599
	276/1	4.00		
	276/2	3.19		
7	277/1	3.10	5665.59	1.3999
8	279/35	1.05	2023.42	0.4999
9	277	15.00	24281.10	5.9999
10	279/27	3.00	4856.22	1.1999
11	273/17	3.15	6070.27	1.4999
12	278/1	1.12	43301.29	10.6999
	279/16	5.14		
	279/4	19.40		
13	279/28	13.60	22014.72	5.4399
14	279/38	9.00	8093.65	1.9999
15	279/24	6.00	9712.38	2.3999
		TOTAL	234797.35	58.0184

पेड़, पौधे लगभग- 1530-
घास लगभग 4500 m2